

पंजीकृत/स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

मुख्य कृषि अधिकारी,
बागेश्वर।

DD (M)

4/4/18

सेवा में,

संयुक्त कृषि निदेशक,
कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी।
जनपद- नैनीताल।

DD (HAR)

पत्रांक:-

/मु0कृ0अ0बा0/स्था0/स्थानान्तरण अधिनियम पत्रा0/2017-18/दिनांक 24-03-2018

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय पत्रांक 1136/सं0कृ0नि0/स्था0/स्था0प्रस्ताव/2017-18/दिनांक 20 फरवरी 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सुगम एवं दुर्गम कार्यस्थलों (संलग्न प्रारूप के अनुसार) का चिन्हिकरण कर सूचना चाही गयी थी, के परिपालन में वांछित सूचना इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी सेवा में सादर प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,

मुख्य कृषि अधिकारी,
बागेश्वर।

पत्रांक:- 1590 /मु0कृ0अ0बा0/स्था0/स्थानान्तरण अधिनियम पत्रा0/2017-18/दिनांकित।

प्रतिलिपि:-

कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचना की एक प्रति सहित सादर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कृषि अधिकारी,
बागेश्वर।

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (संख्या-1वर्ष 2018) के अनुपालन में कृषि विभाग के न्याय पंचायत स्तरीय कर्मचारियों हेतु सुगम-दुर्गम स्थानों का निर्धारण।

कृषि विभाग में न्याय पंचायत प्रभारियों की नियुक्ति न्याय पंचायत की संख्या के आधार पर होती है। जनपद में 35 न्याय पंचायतें हैं, प्रत्येक न्याय पंचायत में न्याय पंचायत प्रभारी का एक पद सृजित है। जिला अस्पताल जनपद मुख्यालय पर स्थापित है। अतः विभाग द्वारा न्याय पंचायत के आधार पर सुगम-दुर्गम का निर्धारण किया जा रहा है।

सुगम-दुर्गम के निर्धारण हेतु न्याय पंचायत की जनपद मुख्यालय से दूरी, विकासखण्ड मुख्यालय से दूरी, अन्य ग्राम पंचायत से दूरी, जिसमें सड़क मार्ग एवं पैदल मार्ग से दूरी का संज्ञान लिया गया है, साथ ही संचार सुविधाओं की उपलब्धता एवं अनुपलब्धता को आधार बनाया गया है। विस्तृत क्षेत्र को भी दुर्गम हेतु आधार माना गया है। जिला अस्पताल जनपद मुख्यालय पर स्थापित है, अतः स्वास्थ्य सुविधाओं के सन्दर्भ में जनपद मुख्यालय से दूरी ली गई है। शिक्षा सुविधाओं के सन्दर्भ में प्राथमिक, जूनियर एवं हाईस्कूल सभी न्याय पंचायतों में उपलब्ध है। महाविद्यालय के सन्दर्भ में विकासखण्ड से दूरी एवं जिला मुख्यालय से दूरी को आधार माना गया है। इस प्रकार जनपद में कुल 35 न्याय पंचायतों में 19 न्याय पंचायतें सुगम व 16 न्याय पंचायत दुर्गम निर्धारित की गई हैं।

विकास खण्ड का नाम	न्याय पंचायत का नाम	सुगम/दुर्गम
बागेश्वर	आरे	सुगम
	फल्याटी	सुगम
	रवाईखाल	सुगम
	चौरा	सुगम
	बनलेख	दुर्गम
	काण्डे	सुगम
	गुरना	सुगम
	देवलधार	सुगम
	अमसरकोट	सुगम
	काण्डा	सुगम
	सानिउडियार	दुर्गम
	खॉतीगाव	दुर्गम
	रावतसेरा	दुर्गम
	बोहाला	दुर्गम
	पन्तगाँव	सुगम

	सैंज	सुगम
कपकोट	लोहारखेत	दुर्गम
	सूपी	दुर्गम
	अंसो	सुगम
	भराड़ी	सुगम
	सिमगड़ी	दुर्गम
	होराली	दुर्गम
	दियाली	दुर्गम
	उत्तरौड़ा	सुगम
	शामा	दुर्गम
	माजखेत	दुर्गम
	कर्मी	दुर्गम
	बदियाकोट	दुर्गम
गरुड़	भगरतोला	सुगम
	लौबाँज	सुगम
	तिलसारी	दुर्गम
	बैजनाथ	सुगम
	गढ़सेर	सुगम
	भिलकोट	सुगम
	पिंगलों	दुर्गम

अधिकाशासी अभियन्ता,
लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिकाशासी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड
बागेश्वर

अधिकाशासी अभियन्ता,
जल संस्थान
बागेश्वर

उपमण्डलीय अधिकारी,
दूरसंचार
बागेश्वर

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
बागेश्वर

मुख्य कृषि अधिकारी,
बागेश्वर।

मुख्य विकास अधिकारी,
बागेश्वर।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।